न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह
आई.

प्रकरण संख्या 14/2023

मोहरसिह पुत्र शेराराम, जाति जाट, निवासी दुलपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।

—— अ

बनाम

1. श्री हवाईसिह यादव, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
2. शिशपाल पुत्र गिरधारीराम,
3. फुली पुत्री गिरधारीराम,
4. हसती पुत्री श्री गिरधारीराम,
   समस्त जातिगण जाट, निवासीगण दूलपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं राज0।
5. शीशराम पुत्र शेराराम, जाति जाट, निवासी दूलपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
6. रामसिह पुत्र गिरधारीराम, जाति जाट, निवासी दुलपुरा, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सराकर जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनूं
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, शाखा टमकोर, जरिये शाखा प्रबन्धक।

—— अन

— — —

अन्तरण प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा उनवानी शिशपाल मोहरसिह मु0न0 60/2019 सी0आइ0एस0न0 2019/00323 बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर अ0 धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

— — —

उपस्थितः—

1. श्री विनोदकुमार गिल, अभिभाषक— आवेदक की ओर से।
2. श्री रवि कुमार, अभिभाषक— अनावेदक संख्या 2, 5 व 6 की ओर से।
3. श्री मो0 रफीक, अभिभाषक— अनावेदक सं0 3 व 4 की ओर से।
4. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक संख्या 1 व 7 की ओर से।
5. अनावेदक सं0 8 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि निम्न वर्णित प्रकरण न उपखण्ड अधिकारी मलसीसर जिला झुंझुनूं के यहां वि... मुकदमा उनवानी शिशपाल मोहरसिह मुकदमा नं0 60/2019 सी0आई0एस0न0 20... 003... प्रकरण अ0 धारा 251ए र काश्तकारी अधिनियम आगामी पेशी 24.01.2023 उपरोक्त उनवानी प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष 24.09.2019 से विचाराधीन है जिसके बाबत 10.09.2019 को ... पटवारी हल्का की आई जिसमें दर्ज है कि शिशराम, फुली व हस्ती के कब्जे ... के राजकीय भूमि ख0... 2 47 लगती है जिसमे आने जाने का रास्ता स्थित है। उसके पश्चात दिनांक 03.02.2021 ... 04 09.09.2019 अलग अलग रिपोर्ट पटवारी आई है। शिशपाल के मौके पर राजकीय भूमि लगती है। में रास्ता स्थित है तथा उसी रास्ते से अपने खेत में आवागमन करता है तथा 251ए में सुविधा रास्ता नहीं दिया जा सकता है। दिनांक 03.01.2023 को शिशपाल धमकी दी कि मै स्थानीय विध नजदीकी व्यक्ति हूं उक्त शिशपाल स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उक्त प्रकरण का फैसला मेरे मुत होगा। मेरे खिलाफ फैसला हो ही न ही सकता है। अगली पेशी पर प्रार्थी के विरूद्ध आदेश हो उसकी पीठासीन अधिकारी से बात हो रखी है। उक्त तथ्य की शिकायत शिशपाल ने धमकी दी उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी न्याय संगत निर्णय नही कर सकते है। यह स्पष्ट तथ्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रार्थी को सही न्याय अदालत मातहत से नही मिल सकती है इसलिये उक्त प्रकरण उप अधिकारी मलसीसर से अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः अन्तरण पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदक का प्र नियमित विचारण हेतु उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से अन्य सक्षम अधिकारी के न्याया अन्तरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर से वस्तुस्थिति का तथ्य प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी, मल ने पत्रांक 1290 दिनांक 10.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन बिन्दुवार प्रस्तुत कर अवगत कराया कि सं0 1 हां यह सही है कि न्यायालय हाजा मे मु0न0 60/2019 उनवान शीशपाल बनाम मोहरसिंह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत विचाराधीन है जिसमे अ तारीख पेशी 28.03.2023 नियत है। बिन्दू सं0 2 हां यह भी सही है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्या हाजा मे 24.09.2019 से विचाराधीन है जिसके बाबत तहसीलार मलसीसर की रिपोर्ट क्रमांक 2188 18.09.2019 को प्राप्त हुई है। उसके पश्चात् क्रमांक 308 दिनांक 03.02.3021 के द्वारा पुनः रिपोर्ट प्रा है। जिसके पश्चात् पुनः रिपोर्ट पत्रांक 1466 दिनांक 19.08.2021 को प्राप्त हुई है। चूंकि बिन्दू सं0 संबंध मे उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। अतः बिन्दू सं0 3 के जबाब की आवश्यकत है। बिन्दू सं0 4 मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है जिसका संबंध न्यायाजय हाजा से नही ह जबाब की आवश्यकता नही है। बिन्दू सं0 5 का संबंध न्यायालय हाजा से नही है। बिन्दू सं0 6 कानू अतः जबाब की आवश्यकता नही है। बिन्दू सं0 7 का संबंध न्यायालय हाजा से नही है। अन्त मे प्रार्थ उनवानी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय मे स्थानान्तरण करने का अनुतोष चाहा गया है। न्याया अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने वाले प्रकरणों मे कार्यवाही किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने किसी दबाव मे आकर नही की जाती है बल्कि दोनों पक्षों की दलीलों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात् साक्ष्य के मध्यनजर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। फिर भी आवेदक को यह अंदेशा अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय से उन्हे न्याय मिलने की उम्मीद कम है तो आवेदक के न्यायिक हि मध्यनजर उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता क आपत्ति नही है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ दौहराते हुए निवेदन किया कि मुकदमा उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसिह मुकदमा नं0 60/ सी0आई0एस0नं0 2019/00323 प्रकरण अ0 धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आगामी पे 01.2023 उपरोक्त उनवानी प्रकरण अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 24.09.2019 से विचाराधीन है बाबत 19.09.2019 को रिपोर्ट पटवारी हल्का की आई जिसमें स्पष्ट दर्ज है कि शिशराम, फुली व ह काश्त की भूमि ख0न0 21 के राजकीय भूमि ख0न0 26, 27, 29 व 47 लगती है जिसमे आने ज रास्ता स्थित है। उसके पश्चात दिनांक 0... 09.2019 अलग अलग पटवारी आई है। शिशपाल के मौके पर राजकीय भूमि लग... भूमि में रास्ता स्थित है तथ रास्ते से अपने खेत में आवागमन करता है ... 251ए में सुविधा ... रास्ता नही दिया जा सक दिनांक 03.01.2023 को शिशपाल धमकी दी कि मै ... नजदीकी व्यक्ति हूं उक्त शि स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उक्त प्रकरण ... ही होगा। मेरे खिलाफ फैसला न ही सकता है। अगली पेशी पर प्रार्थी के विरूद्ध आदेश हो जायेगा उसकी पीठासीन अधिकारी से रखी है। उक्त तथ्य की शिकायत शिशपाल ने धमकी दी इसलिये उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी संगत निर्णय नही कर सकते है। यह स्पष्ट तथ्य है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को सही न्याय अ मातहत से नही मिल सकती है इसलिये उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी मलसीसर से अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः अन्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अ

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:52 IST
Reason: SelfAttested

का प्रकरण नियमित विचारण हेतु उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के न्यायालय से अन्य सक्षम अधि
न्यायालय में अन्तरण किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 8 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 8 आवश्यक पक्षकार भी
अतः अप्रार्थी सं0 8 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 2, 5 व 6 ने वकील आवेदक के कथनों का कोई विरोध नही कि
कथन किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मे विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्या
सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

वकील अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने वकील आवेदक के कथनों का कोई विरोध नही किया त
किया कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मे विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्या
सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 7 ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी के क
विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी द्वारा निराधार तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। फिर भी प्रकरण को
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर मे सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति न

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा
अधिकारी मलसीसर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। बहस वकील पक्षकारान् इस
सहमत है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अ0 धारा 235
काश्तकारी अधिनियम मुकदमा उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसिह मु0न0 60/2019 सी0आइ
2019/00323 को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरण करने के लिए सहमत है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थ
प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अ0
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसिह मु0न0 6
सी0आइ0एस0नं0 2019/00323 को अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाना न्योचित है। अ
का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मे विचाराधीन प्र
अ0 धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसि
60/2019 सी0आइ0एस0नं0 2019/00323 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ मे स्थ
करने के आदेश दिये जाते है। उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र अ0
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा उनवानी शिशपाल बनाम मोहरसिह मु0न0
सी0आइ0एस0नं0 2019/00323 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ को भिजवा देवे।
प्रति दोनों न्यायालय को प्रेषित हो। प्रार्थी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ के
में दिनांक 24.04.2023 को उपस्थित होवे। ... जाकर फैसल शुमार हो
तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.29 16:53:52 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी
जिला कलक्टर, झुं
जिला कलक्टर